FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

[illegible] सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

जेठाराम बनाम ग्रा॰ पं॰ [illegible]

[illegible] मुकदमा अपील 75 RTRA Act नं. 02/2020 सन

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/07/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री शिवदानराम [illegible] ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 75 RTRA Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 22/07/2020 को पेश हो। तहसीलदार बायतु व ग्राम पंचायत [illegible] से रिपोर्ट लेने हेतु तहरीर जारी हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
22/07/2020	अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में जवाब पेश किया गया है जो शामिल पत्रावली है। शेष रेस्पोडेन्टगणों के नोटिस तामील [illegible] तामील [illegible]। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 15/10/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
15/10/2020	अपीलान्ट के वकील उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या-2 से 5 की ओर से वकील श्री [illegible] जाखड़ द्वारा वकालतनामा मय ईकबाली जवाबदावा पेश किया गया व तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया [illegible] के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई पत्रा[illegible] के संलग्न दस्तावेज व मौका रिपोर्ट [illegible] गया बाद अवलोकन अपीलान्ट की [illegible] मिसल अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली [illegible] पत्रावली नम्बर से खारिज होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:35:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.)

अपील सख्या – 02 / 2020

अपीलांट बनाम उत्तरदाता

1. जेठाराम गोदपुत्र खेताराम जाति सुथार निवासी रिदुसर, खींपर तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. सरपंच ग्राम पंचायत खींपर
2. मूलतानाराम पुत्र मेहाराम
3. किरपाराम पुत्र मेहाराम
4. पूनमाराम पुत्र मेहाराम
5. टीकमाराम पुत्र मेहाराम जाति सुथार निवासी खींपर तहसील बायतु जिला बाड़मेर
6. तहसीलदार बायतु

दिनांक :– 15 / 10 / 2020

उपस्थित :– 1. श्री रिणछाराम सियाग वकील अपीलांट
2. श्री खेताराम जाखड़ा वकील उत्तरदाता संख्या 2 से 5

–: आदेश :–

अपीलांट द्वारा अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नामान्तरकरण संख्या–60 / 05.12.2005 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलांट एवं उत्तरदाता संख्या 2 से 5 की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा रिदूसर पटवार मण्डल खींपर तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 38, 39, 42 रकबा क्रमशः 00.10, 184.04, 39.08 बीघा में आई हुई हैं। उक्त भूमि अपीलांट व उत्तरदाता संख्या 2 से 5 को उनके मुतवफी मेहा पुत्र मगा से विरासत में प्राप्त हुई है। अपीलांट के दादा मेहाराम के फौत होने पर भरे गये फोतगी नामान्तरकरण में अपीलांट का नाम जेठाराम गोदपुत्र खेताराम दर्ज नहीं करके सुशिल कुमार पुत्र खेताराम के नाम से पारित कर दिया गया। अतः उक्त कार्रवाही से व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त अपील प्रस्तुत कर अपीलांट का नाम सुशिल कुमार पुत्र खेताराम के स्थान पर जेठाराम गोदपुत्र खेताराम खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया है।

अपीलांटगण द्वारा देरी के लिये धारा–5 म्याद भारतीय परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट ने देरी के लिये धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत सदभावी भूल मानते हुए एवं इस अपील में निहित उक्त देरी के लिए क्षमा मांगते हुए अपील अन्दर म्याद स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, उत्तरदातागण को सम्मन जारी किये गये है। उत्तरदातागण संख्या 2 से 5 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा इकबाली जवाब पेश कर अपीलांट का नाम जेठाराम गोदपुत्र खेताराम शुद्व किये जाने की लिखित सहमति प्रदान की गई है।

अपील के समर्थन में अपीलांट द्वारा आधार कार्ड, बैंक पास बुक, विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र, अंकतालिका, राशन कार्ड परिचय–पत्र की प्रति पेश की गई। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खेताराम की पुत्री सुशिया है जिसकी शादी उण्डू निवासी [illegible] राम के साथ हुई है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:35:40 IST
Reason: SelfAttested

...के कोई पुत्र नहीं होने से टीकमाराम के पुत्र जेठाराम को गोद लिया गया। नामान्तरकरण ...571 / 05.12.2005 के अवलोकन से पाया गया कि अपीलांट के दादा के फौत होने पर भरे गये ...वी नामान्तरकरण में अपीलांट का नाम जेठाराम गोदपुत्र खेताराम के स्थान पर सुशिल कुमार पुत्र खेताराम दर्ज कर दिया गया है।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेज व तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। चूंकि इस अपील में अपीलांट के नैसर्गिक उत्तराधिकारी के अधिकारों का सारगर्भित तथ्य समाहित है, यदि उक्त अपील को म्याद के बिन्दु पर अस्वीकार कर दिया जाता है तो अपीलांट के नैसर्गिक उत्तराधिकार के सारवान अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्येनजर रखते हुऐ अपीलांट की अपील अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर मौजा रिदूसर पटवार मण्डल खींपर तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 38, 39, 42 रकबा क्रमशः 00.10, 184.04, 39.08 बीघा भूमि में सहखातेदारों के साथ दर्ज नाम **सूशिल कुमार पुत्र खेताराम के स्थान पर जेठाराम गोदपुत्र खेताराम व सुशिया पुत्री खेताराम का नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।** तहसीलदार बायतु उक्त आदेश के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 15.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:35:40 IST
Reason: SelfAttested